

न्यूज ब्रीफ

यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, सीजेर्आई ने कहा- 'ऐसा मत कीजिए, हम पीछे जा रहे हैं...'

नई दिल्ली, एजेंसी | 29 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट में UGC के नए नियमों के खिलाफ विचार करने पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने नियमों पर रोक लगा दी। याचिकाकार्ताओं ने कहा कि नया नियम भ्रम पैदा करता है।

सुप्रीम कोर्ट में UGC के नए नियमों के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए रोक लगा दी। 29 जनवरी 2026 को हुई सुनवाई में CJI सूर्योदय की बेंच ने फैसला सुनाया और सरकार को नोटिस जारी कर के जवाब मांगा है। यानी अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी।

CJI सूर्योदय ने नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अंदरशं दिया है कि अभी 2012 वाले नियम ही लागू होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च 2026 तक केंद्र सरकार और UGC को नोटिस जारी कर के जवाब मांगा है। यानी अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी।

CJI सूर्योदय ने नियमों पर रोक लगाते हुए पूछा कि क्या हम जाति विहीन समाज की तरफ बढ़ रहे हैं या पीछे जा रहे हैं? हमें देखा है कि हॉस्टल में छात्रावास यात्रा के दौरान धार्म में नियम लागू कर दिया जाएगा। वर्ती प्रयागराज में स्वामी अधिष्ठित श्वरानन्द महाराज सहित अन्य संतों के साथ हुए दुर्लभवाहर की कड़ी निंदा की।

CJI सूर्योदय ने कहा, 'हम सरकार से जवाब लेंगे। ऐसी परिस्थिति से कुछ लोग लाभ ले सकते हैं। एक विशेषज्ञ कमिटी भी बनाई जा सकती है।'

याचिकाकार्ताओं के बीच ने सुविधाके दौरान कहा, 'संविधान ने सबको संरक्षण दिया है। सभी नागरिकों की रक्षा करना चाहिए। लेकिन नया नियम भ्रमित करता है और समाज में भेदभाव पैदा करता है। इसमें सिर्फ OBC, SC और ST की बात की गई है।'

चुनाव से पहले ममता सरकार ने EC की सूची पर उठाए सवाल, नौ IAS अफसरों के नाम बदलने का भेजा प्रस्ताव

कोलकाता, एजेंसी | पश्चिम बंगाल सरकार ने चुनाव आयोग की ओर से जारी केंद्रीय पर्यवेक्षकों की सूची पर आपत्ति जताते हुए इसमें बदलाव की मांग की है।

राज्य सरकार ने आयोग को पत्र लिखकर 15 में से 9 आईएस अधिकारियों के नाम बदलने का प्रस्ताव भेजा है, जिनमें राज्य के गृह सचिव भी शामिल हैं।

वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक, यह प्रस्ताव प्रशासनिक और आधिकारिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भेजा गया है। सरकार का कहना है कि जिन अधिकारियों के नाम सुझाए गए हैं, वे राज्य में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों पर कार्यरत हैं, ऐसे में चुनावी ड्यूटी से उनकी अनुपस्थिति प्रशासनिक व्यवस्था को प्रभावित कर सकती है।

राज्य सरकार ने पत्र प्रतिक्रिया देते हुए चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने कहा कि प्रस्ताव की समीक्षा की जा रही है और अंतिम फैसला आयोग द्वारा दिया जाएगा। इससे पहले आयोग ने परिचय बंगाल से 25 वरिष्ठ अधिकारियों की सूची जारी की थी, जिन्हें पांच राज्यों परिचय बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुरुचेरी के विधानसभा चुनावों के जीवन में रखते हुए भेजा गया है।

सूची जारी करने के साथ ही आयोग ने सभी चयनित अधिकारियों के लिए अनिवार्य बीमांशु सत्रों के निर्देश भी दिए हैं, ताकि चुनावी प्रक्रिया निष्पक्ष और सुचारा हो सके। इस घटनाक्रम का चुनावी तैयारियों के लिए उद्देश्य अहम माना जा रहा है, जोकि इससे केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय की जीवन सत्र पर आपत्ति नहीं है।

सूची जारी करने के साथ ही आयोग ने सभी चयनित अधिकारियों के लिए अनिवार्य बीमांशु सत्रों के निर्देश भी दिए हैं, ताकि चुनावी प्रक्रिया निष्पक्ष और सुचारा हो सके। इस घटनाक्रम का चुनावी तैयारियों के लिए उद्देश्य अहम माना जा रहा है, जोकि इससे केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय की जीवन सत्र पर आपत्ति नहीं है।

पार्थ और जय ने पिता को दी मुख्यानि, भतीजे की विदाई देख मौन हुए शरद पवार, गमगीन रहा बारामती का नजारा

नई दिल्ली, एजेंसी | महाराष्ट्र के केंद्रीय नेता, उपमुख्यमंत्री और NCP प्रमुख अंजित पवार का गुरुवार सुरक्षा नियमों के लिए विदायी देख पत्र दाता परत या' अंजित दाता ने इस देख मौन होने ने जारी की थी।

उनकी अंतिम यात्रा में समर्थकों द्वारा उपर्युक्त शरद पवार को देखा गया है। उनकी अंतिम यात्रा में समर्थकों द्वारा उपर्युक्त शरद पवार को देखा गया है।

उनकी अंतिम यात्रा में समर्थकों द्वारा उपर्युक्त शरद पवार को देखा गया है।

उनकी अंतिम यात्रा में समर्थकों द्वारा उपर्युक्त शरद पवार को देखा गया है।

उनकी अंतिम यात्रा में समर्थकों द्वारा उपर्युक्त शरद पवार को देखा गया है।

उपर्युक्त शरद पवार को देखा गया

पीएम सूर्य घर योजना में अब तक 29 हजार 275 उपभोक्ताओं के खातों में पहुंची 228 करोड़ से अधिक की सब्सिडी

योजना में तीन किलोवॉट के सौर संयन्त्र लगाने पर 78 हजार की सब्सिडी मिलेगी।

भोपाल। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा अपने क्षेत्रान्तर्गत आने वाले भोपाल, नमदापुर, बालिलर एवं चंबल संचालन के 16 जिलों में पीएम सूर्यघर योजना के तहत अब तक कुल 29 हजार 273 उपभोक्ता पंजीकृत हुए हैं। इन्हें 228 करोड़ से अधिक की राशि सब्सिडी के रूप में उके खातों में जमा कराई जा चुकी है। कंपनी ने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से संबंधित कार्यों की प्रगति की समीक्षा के द्वारा जिस्टर्ट ऊपरोक्तों से मिली है कि वे प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उपरांत विद्युत वितरण कंपनी में रजिस्टर्ड अधिकृत वेंडर से ही सौर ऊर्जा संवर्तन लावाएं। देश के करोड़ों घरों को मुफ्त बिजली उत्पादन कराने के द्वारा ये पीएम सूर्य घर योजना प्रारंभ की गई है। लोगों को इस योजना का लापां मथ क्षम विद्युत वितरण कंपनी द्वारा प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के तहत एक किलोवॉट सौलर संयन्त्र लगाने पर 30 हजार रुपए, दो किलोवॉट सौलर संयन्त्र लगाने पर 60 हजार रुपए तथा उपरांत एक किलोवॉट या उससे अधिक की एक सौलर संयन्त्र स्थापना पर 78 हजार रुपए की सब्सिडी केन्द्र सरकार द्वारा दी जा रही है। गौरतलव है कि पीएम सूर्यघर योजना का शुभारंभ 13 फरवरी 2024 को हआ था। तब से लेकर आज दिनांक तक हजारों बिजली उपभोक्ताओं को योजना से



जोड़ा गया है। योजना में शामिल होने के लिए अनलाइन आवेदन करना होगा। जिसके लिए पीएम सूर्य घर योजना की वेबसाइट <https://www.pmsuryayaghar.gov.in> पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। वृद्धिस्पृष्ठ की खारीद-फरोख के अधार पर ही प्राप्ती के नए दाम तय किया जाएगा। बताया जा रहा है कि उप जिला मूल्यांकन समिति की बैठक मंगलवार को तय थी, लेकिन किसी कारणशक्ति नहीं हो सकी है। ऐसे में अब जल्द ही बैठक आयोजित कर गाइडलाइन के प्रतावन को लेकर चर्चा होगी।

उपभोक्ताओं को समय पर सब्सिडी मिले इसके लिए वेंडर और उपभोक्ता दोनों का ध्यान रखना होगा कि उके बैंक खाते में नाम, आधार कार्ड में नाम तथा बिजली बिल में नाम एक समान होना चाहिए। गौरतलव है कि 1 दिसंबर 2024 से स्थापित होने वाले प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत सौर प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत ग्रामीण विद्युत वितरण को लेकर कहा जा सकता है।

राजधानी में 15 से 20 प्रतिशत तक महंगी हो सकती है प्राप्ती

वर्ष 2026-27 की गाइडलाइन को लेकर तैयारियों शुरू, जल्द होगी उप जिला मूल्यांकन समिति की बैठक

भोपाल। भोपाल जिले में एक बार प्राप्ती को 15 से 20 प्रतिशत महंगी करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसके लेकर जिलेभर में जिन स्थानों पर अधिक दामों पर पर्जिस्ट्रियां हुई हैं, वहां का रिकार्ड पंजीयन विभाग ने राजधानी विभाग से मांगा है। इन क्षेत्रों में ही विकास कार्यों और प्राप्ती की खारीद-फरोख के अधार पर ही प्राप्ती के नए दाम तय किया जाएगा। बताया जा रहा है कि उप जिला मूल्यांकन समिति की बैठक मंगलवार को तय थी, लेकिन किसी कारणशक्ति नहीं हो सकी है। ऐसे में अब जल्द ही बैठक आयोजित कर गाइडलाइन के प्रतावन को लेकर चर्चा होगी।



इसके अंतिम रूप देने के बाद जिला मूल्यांकन समिति को भेज दिया जाएगा। इस तरह जिले की तैयारियां शुरू हो गई हैं। वर्ष 2026-27 की कलेक्टर गाइडलाइन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। नई कलेक्टर गाइडलाइन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। नई कलेक्टर गाइडलाइन को लेकर पंजीयन विभाग के एक अधिकारीयों द्वारा सर्वे किया जा रहा है। पंजीयन विभाग के एक अधिकारीयों द्वारा नाम छापे की शर्त पर बताया जाएगा। जिन क्षेत्रों में तय दाम से अधिक दामों पर रजिस्ट्रियां हुई हैं। अधिक दाम पर होने वाली रजिस्ट्रियों को ही दाम में बढ़ाव करने का आधार बताया जाएगा। इसके लिए हुजूर, कोलेज, बीसीयू, तस्सलक एवं सोलार एवं खाद्य प्रसंसंकरण मंत्री नारायण सिंह कुशवाह ने बताया कि उज्जैन, महाकालेश्वर

राजस्व विभाग से जनकारी मिली है। रिकॉर्ड पटवारियों से तैयार कर मांगा गया थोड़ा जिले की नगरीय और ग्रामीण सीमा के क्षेत्रों में जमकर प्राप्ती की खारीद-फरोख की गई है, ऐसे में इन इलाकों का रिकॉर्ड पटवारियों से तैयार कर मांगा गया है, जिससे पात्र चाल सके कि यहां पर कितनी जगह पर तय दाम से अधिक दामों पर रजिस्ट्रियां हुई हैं। अधिक दाम पर होने वाली रजिस्ट्रियों को ही दाम में बढ़ाव करने का आधार बताया जाएगा। इसके लिए हुजूर, कोलेज, बीसीयू, तस्सलक एवं सोलार एवं खाद्य प्रसंसंकरण मंत्री नारायण सिंह कुशवाह ने बताया कि उज्जैन, महाकालेश्वर

45 बर्खास्त परिवहन आरक्षकों को फिर मिलेगी नौकरी

विधि विभाग की टीप के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग से मिली स्वीकृति

भोपाल। प्रदेश सरकार में नौकरशाही किस तरह से सरकार को किरकिरी करने में जुटी है। इसके बड़ा मामला समझे रखा जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के अदेश पर सरकार ने पिछले साल जिन 45 अरक्षकों को बर्खास्त किया था, उन्हें जल्दीपुर उच्च न्यायालय के एक अदेश के हालात से फिर से सेवा में रखा जा रहा है। जानकारी के अनुसार, जिन 45 परिवहन आरक्षकों को बर्खास्त किया था, उन्हें परिवहन, विधि और सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने उच्च न्यायालय के अदेश के अदेश के हालात से फिर से सेवा में रखा जा रहा है। जानकारी के अनुसार, जिन 45 परिवहन आरक्षकों को बर्खास्त किया था, उन्हें परिवहन, विधि और सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने उच्च न्यायालय के अदेश के अदेश के हालात से फिर से सेवा में रखा जा रहा है। जानकारी के अनुसार, जिन 45 परिवहन आरक्षकों को बर्खास्त किया था, उन्हें परिवहन, विधि और सामान्य प्रशासन विभाग से स्वीकृति मिल गई है। दरअसल, 2012 में परिवहन विभाग ने महिला पर रखने के आदेश के अदेश पर बर्खास्त किया था। इसके बाद बर्खास्त आरक्षकों को बर्खास्त किया था। इसके बाद बर्खास्त आरक्षकों को नौकरी देने के अदेश जारी किया गया। हालांकि महिलाओं को नौकरी देने के मामले में अधिकारियों ने कोई रुचि नहीं थी। सर्वोच्च न्यायालय के अदेश पर बर्खास्त किया गया था। इसके बाद बर्खास्त आरक्षकों को नौकरी देने के अदेश जारी किया गया। जिसके बाद बर्खास्त आरक्षकों को नौकरी देने के अदेश के अदेश के हालात से फिर से सेवा में रखा जा रहा है। जानकारी के अनुसार, जिन 45 परिवहन आरक्षकों को बर्खास्त किया था, उन्हें परिवहन, विधि और सामान्य प्रशासन विभाग से स्वीकृति मिल गई है। दरअसल, 2012 में परिवहन विभाग ने महिला पर रखने के आदेश के अदेश पर बर्खास्त किया था। इसके बाद बर्खास्त आरक्षकों को नौकरी देने के अदेश के अदेश के हालात से फिर से सेवा में रखा जा रहा है। जानकारी के अनुसार, जिन 45 परिवहन आरक्षकों को बर्खास्त किया था, उन्हें परिवहन, विधि और सामान्य प्रशासन विभाग से स्वीकृति मिल गई है। दरअसल, 2012 में परिवहन विभाग ने महिला पर रखने के आदेश के अदेश पर बर्खास्त किया था। इसके बाद बर्खास्त आरक्षकों को नौकरी देने के अदेश के अदेश के हालात से फिर से सेवा में रखा जा रहा है। जानकारी के अनुसार, जिन 45 परिवहन आरक्षकों को बर्खास्त किया था, उन्हें परिवहन, विधि और सामान्य प्रशासन विभाग से स्वीकृति मिल गई है। दरअसल, 2012 में परिवहन विभाग ने महिला पर रखने के आदेश के अदेश पर बर्खास्त किया था। इसके बाद बर्खास्त आरक्षकों को नौकरी देने के अदेश के अदेश के हालात से फिर से सेवा में रखा जा रहा है। जानकारी के अनुसार, जिन 45 परिवहन आरक्षकों को बर्खास्त किया था, उन्हें परिवहन, विधि और सामान्य प्रशासन विभाग से स्वीकृति मिल गई है। दरअसल, 2012 में परिवहन विभाग ने महिला पर रखने के आदेश के अदेश पर बर्खास्त किया था। इसके बाद बर्खास्त आरक्षकों को नौकरी देने के अदेश के अदेश के हालात से फिर से सेवा में रखा जा रहा है। जानकारी के अनुसार, जिन 45 परिवहन आरक्षकों को बर्खास्त किया था, उन्हें परिवहन, विधि और सामान्य प्रशासन विभाग से स्वीकृति मिल गई है। दरअसल, 2012 में परिवहन विभाग ने महिला पर रखने के आदेश के अदेश पर बर्खास्त किया था। इसके बाद बर्खास्त आरक्षकों को नौकरी देने के अदेश के अदेश के हालात से फिर से सेवा में रखा जा रहा है। जानकारी के अनुसार, जिन 45 परिवहन आरक्षकों को बर्खास्त किया था, उन्हें परिवहन, विधि और सामान्य प्रशासन विभाग से स्वीकृति मिल गई है। दरअसल, 2012 में परिवहन विभाग ने महिला पर रखने के आदेश के अदेश पर बर्खास्त किया था। इसके बाद बर्खास्त आरक्षकों को नौकरी देने के अदेश के अदेश के हालात से फिर से सेवा में रखा जा रहा है। जानकारी के अनुसार, जिन 45 परिवहन आरक्षकों को बर्खास्त किया था, उन्हें परिवहन, विधि और सामान्य प्रशासन विभाग से स्वीकृति मिल गई है। दरअसल, 2012 में परिवहन विभाग ने महिला पर रखने के आदेश के अदेश पर बर्खास्त किया था। इसके बाद बर्खास्त आरक्षकों को नौकरी देने के अदेश के अदेश के हालात से फिर से सेवा में रखा जा रहा है। जानकारी के अनुसार, जिन 45 परिवहन आरक्षकों को बर्खास्त किया था, उन्हें परिवहन, विधि और सामान्य प्रशासन विभाग से स्वीकृति मिल गई है। दरअसल, 201

शेरव हसीना के दिल्ली में भाषण का असर! बांग्लादेश ने रद्द किया इंडियन इकोनॉमिक जोन प्रोजेक्ट

एजेंसी ढाका



बांग्लादेश ने चत्तगंग के मिरसराय इलाके में प्रस्तावित ईंडियन इकोनॉमिक जोन प्रोजेक्ट को किया रद्द कर दिया है। यूनुस सरकार ने इसके बजाय उसी जीमीन पर एक डेविलोपर डिफेंस ईंडिस्ट्रियल जोन बनाने का आंशन चुना है। यह ऐस्लाम दो दिन पहले बांग्लादेश इकोनॉमिक जोन अथरिटी (BEZA) और बांग्लादेश इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट अथरिटी (BIDA) के एजेंसीयूट चेयरमैन चौधरी आशिक महमूद बिन हासन ने हाल ही में चैफ एडवाइजर मुहम्मद यूनुस की अव्यक्ति में दुई एक हाई-लेवल गवर्नर्स बोर्ड बोर्डिंग के बाद किया। यूनुस सरकार ने यह फैसला नई दिल्ली में अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के संबोधनिक भाषण के बाद किया है। यूनुस सरकार के इस फैसले से भारत-बांग्लादेश संबंधों में तनाव और ज्यादा बढ़ने की आशंका है। भारत और बांग्लादेश में 2015 में मिसराय इलाके में इकोनॉमिक जोन प्रोजेक्ट को लेकर एक मिसराय इलाके में अपरेंटिंग बोर्ड अंडरस्ट्रॉटिंग को साइन किया गया था। इसके अंतर्गत बांग्लादेश के नेशनल स्पेशल इकोनॉमिक जोन फ्रेमवर्क के अंदर मिसराय में सैकड़ों एकड़ जर्मनी और बांग्लादेश के मौंगला में एक और साइट को विकसित करना था। इसके लिए भारत और बांग्लादेश में ईंडियन इकोनॉमिक जोन अथरिटी (BEZA) और बांग्लादेश कोलैबोरेशन और इकोनॉमिक एंटरेंजेन को बढ़ावा दिया था। यूनुस सरकार का फैसला नई दिल्ली में ईंडियन इकोनॉमिक जोन अथरिटी (BEZA) और बांग्लादेश इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट अथरिटी (BIDA) के एजेंसीयूट चेयरमैन चौधरी आशिक महमूद बिन हासन ने हाल ही में चैफ एडवाइजर मुहम्मद यूनुस की अव्यक्ति में दुई एक हाई-लेवल गवर्नर्स बोर्ड बोर्डिंग के साथ बांग्लादेश के साथ दोस्ती संबंध रखने वाले कई देशों के साथ जाती चर्चा चल रही है। उन्होंने कहा कि इस समय वह बताना संभव नहीं है कि कौन से मिलिट्री उपकरण बनाएंगे, जैसे, जोकि यह डिमार्ड के अधार पर तय किया जाएगा। BEZA गवर्नर्स बोर्ड की मीटिंग में कई

बार-बार रिवेस्ट करने के बावजूद, कोई खास तरकी नहीं हुई। बांग्लादेशी अधिकारियों का दबाव है कि इस प्रोजेक्ट में दिए गए फैंड को सिर्फ लगभग एक परसेट ही ईस्टर्न मैट्रिक जुआ है। भारतीय कॉन्फ्रेक्टर ने बहुत कम दिलचस्पी दिखाई, जिससे प्रोजेक्ट को 2025 के बीच तक G2G फ्रेमवर्क से डीलिस्ट कर दिया गया। BEZA की चौधरी गवर्नर्स बोर्ड मीटिंग में लिए गए एक पालिसी फैसले में, मिसराय में पहले से दी गई खाली जर्मनी में से 850 एकड़ को अपरेंटिंग बोर्ड इकोनॉमिक जोन या डिफेंस ईंडियन इकोनॉमिक जोन को एक पैरेंटेंट एजेक्ट के तौर पर देखा गया था जो दोनों देशों के मजबूत होते संबंधों का प्रतीक था। इसके बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर नौकरियां पैदा होने की उम्मीद थी। लेकिन, अब यूनुस सरकार के फैसले से बांग्लादेशी लोगों की उम्मीदें और पानी फिर चुका है।

अन्य मुद्दों को भी पॉलिसी मंजूरी दी गई। मुख्य फैसलों में से एक फ्री ट्रेड जोन स्थापित करना था। ईंडियन इकोनॉमिक जोन प्रोजेक्ट को रद्द करने का फैसला ऐसे समय हुआ है, जब मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतर्राष्ट्रीय एकाउन्टर के सत्ता में आने के बाद से भारत-बांग्लादेश संबंध चिङ्गे रहे हैं। इस घटना का दोनों देशों के अधिक संबंधों पर असर पड़ने की संभवता है। बांग्लादेश के कई प्रोजेक्टस भारत के इन्वेस्टमेंट और लान ऑफ क्रेडिट प्राइटिंग के तौर पर देखा गया था जो दोनों देशों के मजबूत होते संबंधों का प्रतीक था। इसके बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर नौकरियां पैदा होने की उम्मीद थी। लेकिन, अब यूनुस सरकार के फैसले

चीन की PL-17 कलिर मिसाइल की पहली बार करीब से झलक, PL-15 से कितनी खतरनाक, 400KM है रेंज

एजेंसी बीजिंग



पहलगाम हमले के बाद, जब ऐसा लगने लगा था कि भारत, पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर सकता है, PL-15 एयर-टू-एयर मिसाइल के बारे में बताया था। हमारी रिपोर्ट में सबसे खास बात ये थी कि चीन ने पाकिस्तान के PLA एयरफोर्स के लिए जो PL-15 बनाया गया था, वो एकाइनामिक जोन को सारा था। इसकी रेंज 200 किलोमीटर से थी और यह जबकि PL-15 के एस्परेट वैरिएट की रेंज 150 किलोमीटर के आसपास है। बाद में ऑपरेशन सिंगर के बाद पता चला था कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ PL-15 मिसाइल का इस्तेमाल किया है। अब हम आपको PL-15 मिसाइल के बारे में एडवाइस जानकारी देने जा रहे हैं। क्या पता, अगले भारत-पाकिस्तान संबंध में इस मिसाइल का भी इस्तेमाल हो जाएगा। PL-17 को पीपल्स लिवरेसन आर्मी एयर फोर्स (PLAAF) का पालसे रहयाम हीड़-एयर मिसाइल के बाद पता चला था कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ PL-15 मिसाइल का इस्तेमाल किया है। अब हम आपको PL-15 के एस्परेट वैरिएट की रेंज 150 किलोमीटर के आसपास है। बाद में एडवाइस जानकारी देने जा रहे हैं। क्या पता, अगले भारत-पाकिस्तान संबंध में इस मिसाइल का भी इस्तेमाल हो जाएगा। PL-17 को पीपल्स लिवरेसन आर्मी एयर फोर्स (PLAAF) का पालसे रहयाम हीड़-एयर मिसाइल के बाद पता चला था कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ PL-15 मिसाइल का इस्तेमाल किया है। अब हम आपको PL-15 के एस्परेट वैरिएट की रेंज 150 किलोमीटर के आसपास है। बाद में एडवाइस जानकारी देने जा रहे हैं। क्या पता, अगले भारत-पाकिस्तान संबंध में इस मिसाइल का भी इस्तेमाल हो जाएगा। PL-17 को पीपल्स लिवरेसन आर्मी एयर फोर्स (PLAAF) का पालसे रहयाम हीड़-एयर मिसाइल के बाद पता चला था कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ PL-15 मिसाइल का इस्तेमाल किया है। अब हम आपको PL-15 के एस्परेट वैरिएट की रेंज 150 किलोमीटर के आसपास है। बाद में एडवाइस जानकारी देने जा रहे हैं। क्या पता, अगले भारत-पाकिस्तान संबंध में इस मिसाइल का भी इस्तेमाल हो जाएगा। PL-17 को पीपल्स लिवरेसन आर्मी एयर फोर्स (PLAAF) का पालसे रहयाम हीड़-एयर मिसाइल के बाद पता चला था कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ PL-15 मिसाइल का इस्तेमाल किया है। अब हम आपको PL-15 के एस्परेट वैरिएट की रेंज 150 किलोमीटर के आसपास है। बाद में एडवाइस जानकारी देने जा रहे हैं। क्या पता, अगले भारत-पाकिस्तान संबंध में इस मिसाइल का भी इस्तेमाल हो जाएगा। PL-17 को पीपल्स लिवरेसन आर्मी एयर फोर्स (PLAAF) का पालसे रहयाम हीड़-एयर मिसाइल के बाद पता चला था कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ PL-15 मिसाइल का इस्तेमाल किया है। अब हम आपको PL-15 के एस्परेट वैरिएट की रेंज 150 किलोमीटर के आसपास है। बाद में एडवाइस जानकारी देने जा रहे हैं। क्या पता, अगले भारत-पाकिस्तान संबंध में इस मिसाइल का भी इस्तेमाल हो जाएगा। PL-17 को पीपल्स लिवरेसन आर्मी एयर फोर्स (PLAAF) का पालसे रहयाम हीड़-एयर मिसाइल के बाद पता चला था कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ PL-15 मिसाइल का इस्तेमाल किया है। अब हम आपको PL-15 के एस्परेट वैरिएट की रेंज 150 किलोमीटर के आसपास है। बाद में एडवाइस जानकारी देने जा रहे हैं। क्या पता, अगले भारत-पाकिस्तान संबंध में इस मिसाइल का भी इस्तेमाल हो जाएगा। PL-17 को पीपल्स लिवरेसन आर्मी एयर फोर्स (PLAAF) का पालसे रहयाम हीड़-एयर मिसाइल के बाद पता चला था कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ PL-15 मिसाइल का इस्तेमाल किया है। अब हम आपको PL-15 के एस्परेट वैरिएट की रेंज 150 किलोमीटर के आसपास है। बाद में एडवाइस जानकारी देने जा रहे हैं। क्या पता, अगले भारत-पाकिस्तान संबंध में इस मिसाइल का भी इस्तेमाल हो जाएगा। PL-17 को पीपल्स लिवरेसन आर्मी एयर फोर्स (PLAAF) का पालसे रहयाम हीड़-एयर मिसाइल के बाद पता चला था कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ PL-15 मिसाइल का इस्तेमाल किया है। अब हम आपको PL-15 के एस्परेट वैरिएट की रेंज 150 किलोमीटर के आसपास है। बाद में एडवाइस जानकारी देने जा रहे हैं। क्या पता, अगले भारत-पाकिस्तान संबंध में इस मिसाइल का भी इस्तेमाल हो जाएगा। PL-17 को पीपल्स लिवरेसन आर्मी एयर फोर्स (PLAAF) का पालसे रहयाम हीड़-एयर मिसाइल के बाद पता चला था कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ PL-15 मिसाइल का इस्तेमाल किया है। अब हम आपको PL-15 के एस्परेट वैरिएट की रेंज 150 किलोमीटर के आसपास है। बाद में एडवाइस जानकारी देने जा रहे हैं। क्या पता, अगले भारत-पाकिस्तान संबंध में इस मिसाइल का भी इस्तेमाल हो जाएगा। PL-17 को पीपल्स लिवरेसन आर्मी एयर फोर्स (PLAAF) का पालसे रहयाम हीड़-एयर मिसाइल के बाद पता चला था कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ PL-15 मिसाइल का इस्तेमाल किया है। अब हम आपको PL-15 के एस्परेट वैरिएट की रेंज 150 किलोमीटर के आसपास है। बाद में एडवाइस जानकारी देने जा रहे हैं। क्या पता, अगले भारत-पाकिस्तान संबंध में इस मिसाइल का भी इस्तेमाल हो जाएगा। PL-17 को पीपल्स लिवरेसन आर्मी एयर फोर्स (PLAAF) का पालसे रहयाम हीड़-एयर मिसाइल के बाद पता चला था कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ PL-15 मिसाइल का इस्तेमाल किया है। अब हम आपको PL-15 के एस्परेट वैरिएट की रेंज 150 किलोमीटर के आसपास है। बाद में एडवाइस जानकारी देने जा रहे हैं। क्या पता, अगले भारत-पाकिस्तान संबंध में इस मिसाइल का भी इस्तेमाल हो जाएगा। PL-17 को पीपल्स लिवरेसन आर्मी एयर फोर्स (PLAAF) का पालसे रहयाम हीड़-एयर मिसाइल के बाद पता चला था कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ PL-15 मिसाइल का इस्तेमाल किया है। अब हम आपको PL-15 के एस्परेट वैरिएट की रेंज 150 किलोमीटर के आसपास है। बाद में एडवाइस जानकारी देने जा रहे ह

